

न्यायालय-रूपनारायण पठारे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)
// रिमाण्ड आदेश //

कमांक क्यू/मु0न्या0मजि0/2024

जगदलपुर दिनांक-30/04/2024

मैं रूपनारायण पठारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान-जगदलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्वारा ग्रीष्म कालीन अवकाश को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी करता हूं कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित माह-मई-जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

माह- मई-जून 2024

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	गिरिश पाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 26/05/2024 एवं दिनांक 09/06/2024 व 15/06/2024
02	श्रीमति मीनाक्षी नाग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 12/05/2024, 18/05/2024 एवं दिनांक 08/06/2024 व 30/06/2024
03	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 11/05/2024 दिनांक 02/06/2024 व 16/06/2024
04	श्रीमति दन्तेश्वरी नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 05/05/2024 व 19/05/2024 दिनांक 17/06/2024, 23/06/2024

नोट :-

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर माह-मई-जून 2024 में गिरिश पाल सिंह, श्रीमती मीनाक्षी नाग, श्री राहुल शराफ एवं श्रीमती दन्तेश्वरी नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमति से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

दिनांक-30.04.2024

स्थान-जगदलपुर

सही / -

(रूपनारायण पठारे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर

प्रतिलिपि:-

1- प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

2- कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर।

3- गिरिश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- श्रीमति मीनाक्षी नाग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक